न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/393

जगदीश प्रसाद आत्मज श्री प्रभूलाल उम्र 26 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कजोड पुत्र श्री रामसुख उम्र 42 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम निमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 14.11.2017

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम चन्द्रावला की आराजी पुराना खसरा नम्बर 445 की 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि गोपाल को सीलिंग प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्त होकर आवंटन कमेटी द्वारा वर्ष 1978 में निमयानुसार गोपाल के पक्ष में आवंटित की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त राशि जमा करवा दी गई और तहसीलदार दीगोद ने राशि जमा करवाने के पश्चात् उक्त भूमि दिनांक 27.02.1993 को गोपाल के पक्ष में इंतकाल नं0 65 से खातेदारी तस्दीक कर दी गई । गोपाल ने अपनी भूमि को वादी के पक्ष में वसीयत कर दिया जिससे उक्त भूमि आराजी नया खसरा नम्बर 625 रकबा 1.71 हैक्टर का इंतकाल वादी के पक्ष में नियमानुार तस्दीक कर दिया । वादी ने अपने वादपत्र में निवेदन किया कि –

3. वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे प्रतिवादी कम 1 द्वारा कथन की गई तथाकथित दिनांक 22.09.2000 की कूट रचित व फर्जी तथाकथित अपंजीकृत वसीयत को नल एण्ड वोईड घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वह उक्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मुदाखल व

मजाहमत नहीं करे और ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार किया और वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2016 के द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाज़ा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार गोपाल जो कि वादी अपीलान्ट के पिता श्री प्रभूलाल के सगे मामा थे ने दिनांक 30.03.1993 को वादग्रस्त आराजी की वसीयत वादी अपीलान्ट के पक्ष में गवाहन के समक्ष निष्पादित कर उसे उप पंजीयक दीगोद के समक्ष पंजीकृत करवाया था । गोपाल जी की मृत्यु के उपरान्त उक्त पंजीकृत वसीयत के आधार पर उक्त भमि वादी अपीलान्ट के खाते में दर्ज की गई थी । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई तथाकथित वसीयत दिनांक 22.09.2000 पूर्णतया कूचरचित एवं बनावटी, फर्जी वसीयत थी जो केवलमात्र गोपाल जी की सम्पत्ति को हडप करने के उद्देश्य से उनकी मृत्यु के उपरान्त फर्जकारी कर फर्जी गवाहान जिनके नाम पते अपूर्ण हैं तथा जो उपस्थित नहीं हुए थे के फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथाकथित वसीयत की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में जॉच किये बिना ही उक्त तथाकथित वसीयत को निरस्त घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होना मानकर तनकी संख्या 03 वादी अपीलान्ट के विरूद्ध तय करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तथाकथित वसीयत की प्रमाणिकता की जॉच के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता होने का मत था तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को धारा 239 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उक्त बिन्दु के निष्कर्ष हेतु प्रकरण को सिविल न्यायालय को भेजना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथाकथित वसीयत के कूट रचित होने के सम्बन्ध में संदेह प्रकट करने के उपरान्त भी उसकी प्रमाणिकता की जॉच किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2011 आर. आर.टी. पेज 592 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मृतक गोपाल के नाम खातेदारी में दर्ज थी और मृतक गोपाल जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.09.2000 को उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में वसीयत कर दी । मृतक गोपाल ने अपनी अंतिम वसीयत रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में निष्पादित की थी इसलिए उक्त वसीयत अंतिम वसीयत होने से वैध वसीयत थी । अपीलान्ट ने तथ्यों को छुपाते हुए नामान्तरकरण संख्या 234 खुलवा लिया

था जिसे अपीलीय न्यायालय ने विवादित करार दिया है । वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है । वादी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 22.09.2000 को निरस्त कराने बाबत् वाद न्यायालय में पेश किया है जिसे निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार गोपाल जी थे ने दिनांक 30.03.1993 को वादग्रस्त आराजी की वसीयत वादी अपीलान्ट के पक्ष में गवाहन के समक्ष निष्पादित कर उसे उप पंजीयक दीगोद के समक्ष पंजीकृत करवाया था । इसी प्रकार मृतक गोपाल जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.09.2000 को उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में वसीयत कर दी । मृतक गोपाल ने अपनी अंतिम वसीयत रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में निष्पादित की थी इसलिए उक्त वसीयत अंतिम वसीयत थी । अपीलान्ट के पक्ष में पूर्व पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 234 खोला गया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने विवादित करार दिया है । वादी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 22.09.2000 को निरस्त कराने बाबत् वाद न्यायालय में पेश किया है जिसे निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है ।

11. अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो में कहे गये कथनों को किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज से साबित नहीं किया है क्योंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मृतक गोपाल द्वारा अंतिम वसीयत रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई है और अंतिम वसीयत को ही वैध माना जावेगा, जब तक अन्यथा उक्त वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक उक्त अंतिम वसीयत को राजस्व न्यायालय द्वारा सही माना जावेगा ।

12. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2016 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/393

जगदीश प्रसाद आत्मज श्री प्रभूलाल उम्र 26 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. कजोड पुत्र श्री रामसुख उम्र 42 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम निमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 16.08.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 82/दावा/2006

जगदीश प्रसाद आत्मज श्री प्रभूलाल उम्र 26 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---वादी

बनाम

ौड पुत्र श्री रामसुख उम्र 42 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम निमोदा तहसील दीगोद जिला ...टा ।

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.11.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रघुवीर सिंह राठौड एवं श्री शम्भू दयाल विजय, अभिभाषक उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 14.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा